न्यायालय उपखण्ड अधिकारी राजगढ (अलवर)

(पीठासीन अधिकारी श्री केशव कुमार मीना आर.ए.एस.)

वाद संख्या :– 01/90/2012

1. रामधन पुत्र झूथा जाति कोली निवासी टहला तहसील राजगढ जिला अलवर .....वादीगण

बनाम्

1. राजस्थान सरकार जिला कलक्टर अलवर
2. तहसीलदार राजगढ
3. मुरारी पुत्र मूलचन्द जाति बलाई निवासी टहला तहसील राजगढ (अलवर)
4. किशन पुत्र रूगनाथ जाति कोली निवासी टहला तहसील राजगढ (अलवर)
5. लादू पुत्र फतेहलाल जाति कोली निवासी टहला तहसील राजगढ (अलवर)
6. राधेश्याम पुत्र गंगाराम जाति रैगर निवासी टहला तहसील राजगढ (अलवर)
7. रामधन पुत्र झूथा जाति कोली निवासी टहला तहसील राजगढ (अलवर) ....प्रतिवादीगण

दावा इस्तकरारहक्क अन्तर्गत धारा 88

उपस्थित : 1. श्री सुरेन्द्र माथुर एड0– वादी

2 पैरोकार सरकार –प्रतिवादी

निर्णय **दिनांक 05.02.2021**

1. आज यह पत्रावली दावा इस्तकरारहक्क अन्तर्गत धारा 88, 89 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 वास्ते निर्णय पेश हुई। प्रकरण का सुक्ष्म वृतान्त इस प्रकार है कि वादी की साबिक आराजी खसरा संख्या 1369/29 रकबा 5 बीघा किस्म बंजड़ अव्वल वादी को राजस्थान भू0–राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि का आवंटन) नियम–1970 के तहत 5 बीघा भूमि आवंटित हुई थी। उक्त वर्णित भूमि वादी के नाम गैर खातेदारी दर्ज कर दी गई। बाद में नियमानुसार वादी को खातेदारी प्रदान कर दी गई। बंदोबस्त सम्वत 2046 में उक्त साबिक आराजी खसरा संख्या 1369/29 रकबा 5 बीघा का हाल खसरा 55 रकबा 1.16 हैक्ट0

कायम किया। इस प्रकार साबिक रकबा 5 बीघा का हाल मैट्रिक मापानुसार 1.25 हैक्ट0 रकबा दर्ज होकर वादी की खातेदारी में दर्ज होना चाहिए। परन्तु 0.09 है0 रकबा कम दर्ज कर दिया गया। साथ ही वादी को आवंटित साबिक खसरा संख्या 1369/29 रकबा 5 बीघा साबिक रिकार्ड में गैर मुमकिन रास्ते के पास है जबकि बंदोबस्त सम्वत् 2046 ने हाल रिकार्ड में हाल खसरा संख्या को नक्शा किश्तवार में रास्ते से दूर अंकित किया गया है। बंदोबस्त को साबिक रिकॉर्डानुसार रकबा व नक्शा किश्तवार में इन्द्राज में परिवर्तन का कोई अधिकार नहीं है। अन्त में वादी ने स्वयं को 1.25 है0 रकबे का रिकार्डेड खातेदार घोषित करने एवं हाल नक्शा किश्तवार में मुताबिक साबिक रिकार्ड के इन्द्राज दुरूस्ती करते हुए दावा इस्तकरारहक्क डिक्रीत फरमाने का निवेदन किया।

2. दावा इस्तकरारहक्क दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी असालतन वकालतन उपस्थित न्यायालय आये तथा अपना जवाब–दावा प्रस्तुत किया। प्रतिवादी ने अपने जवाब में निवेदन किया कि वादी को साबिक खसरा संख्या 29 रकबा 46 बीघा 18 बिस्वा किस्म चारागाह मुताबिक जमाबंदी सम्वत् 2031 में से 5 बीघा भूमि अवैध रूप से आवंटित की गई थी। बंदोबस्त सम्वत् 2046 के मिलान क्षेत्रफल अनुसार साबिक खसरा संख्या 1368/29 रकबा 5 बीघा से हाल खसरा संख्या 55 रकबा 1.16 है0 मुताबिक कब्जा वादी सही रिकॉर्ड दर्ज किया गया है। वादी के नामान्तकरण संख्या 31 के द्वारा रकबा 1.16 है0 भूमि पर ही खातेदारी दी गई है। बंदोबस्त सम्वत् 2046 द्वारा बंदोबस्त कार्यवाही के दौरान दिनांक 15.07.07 को पर्चा नोटिस कार्यवाही ग्राम पंचायत टहला पर रखी गई थी। वादी को पर्चा नोटिस पर आपत्ति रखनी चाहिए थी। अन्त में प्रतिवादी ने वादी को मुताबिक कब्जा जायज आराजी को पूर्व में ही रिकॉर्डेड खातेदार घोषित होने के कारण हाल दावा इस्तकरारहक्क खारिज फरमाने का निवेदन किया।

3. प्रकरण में वादी व प्रतिवादी के जवाब दावे के अवलोकन के पश्चात् निम्न तनकीयात यम किये गये–

(अ) –आया वादी हाल खसरा नम्बर 55/1.16 है0 वाके ग्राम टहला का रकबा मुताबिक साबिक रिकार्ड व नक्शा के जो 0.09 है0 कम कर दिया है उसे पूरा 1.25 है0 दर्ज किया जाकर खसरा नम्बर 0.55 है0 वाके ग्राम टहला का रकबा 1.25 है0, घोषित कराकर खातेदार घोषित कराने का अधिकारी है तथा उसी कदर राजस्व रिकार्ड को दुरूस्त कराने तथा हाल नक्शा को साबिक नक्शा के मुताबिक जो साबिक नक्शा में तरफ दक्षिण को रास्ता के पास दर्शाया गया है के अनुसार हाल नक्शा को दुरूस्त कराने का अधिकारी है– वादी

(ब)–आया वादी उक्त वर्णित आराजी के लिये प्रतिवादी को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द कराने का अधिकारी है– वादीगण

(स)–अन्य दादरसी

4. प्रकरण में वादी द्वारा वाद पत्र के समर्थन में दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में जमाबंदी खतौनी सम्वत् 2039–42 वाके ग्राम टहला [Exb-1] नामान्तरकरण संख्या 81 दिनांक 26.05.1993 वाके ग्राम टहला [Exb-2] नक्शा ट्रेस नक्शा किश्तवार सन्–1957 वाके ग्राम टहला [Exb-3], नक्शा किश्तवार हाल वाके ग्राम टहला [Exb-4] पर्चा नोटिस भू–प्रबन्ध विभाग श्री रामधन कोली [Exb-5], नामान्तरकरण संख्या 110 दिनांक 27.03.1975 वाके ग्राम टहला [Exb-6] नामान्तरकरण संख्या 130 दिनांक 27.03.1975 वाके ग्राम टहला [Exb-7] मौका रिपोर्ट नायब तहसीलदार टहला दिनांक 11.07.2017 [Exb-8] हाल जमाबंदी वाके ग्राम टहला [Exb-9] आदि दस्तावेज पेश किये गये। प्रकरण में वादी द्वारा वाद पत्र के समर्थन

में साक्ष्य के रूप में Pw–1 श्री रामधन पूत्र श्री झुथा कोली के जिरह मय बयान लेखबद्ध कर शामिल पत्रावली किये गये।

5. बहस उभय पक्ष सुनी गई। दौरान–ए–बहस उभय पक्षकारों ने दावा व जवाब दावे के तथ्यों को पुनः दोहराया। वादी की साबिक आराजी खसरा संख्या 1369/29 रकबा 5 बीघा किस्म बंजड़ अव्वल वादी को राजस्थान भू0–राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि का आवंटन) नियम–1970 के तहत 5 बीघा भूमि आवंटित हुई थी। उक्त वर्णित भूमि वादी के नाम गैर खातेदारी दर्ज कर दी गई। बाद में नियमानुसार वादी को खातेदारी प्रदान कर दी गई। बंदोबस्त सम्वत 2046 में उक्त साबिक आराजी खसरा संख्या 1369/29 रकबा 5 बीघा का हाल खसरा 55 रकबा 1.16 हैक्ट0 कायम किया। इस प्रकार साबिक रकबा 5 बीघा का हाल मैट्रिक मापानुसार 1.25 हैक्ट0 रकबा दर्ज होकर वादी की खातेदारी में दर्ज होना चाहिए। परन्तु 0.09 है0 रकबा कम दर्ज कर दिया गया। साथ ही वादी को आवंटित साबिक खसरा संख्या 1369/29 रकबा 5 बीघा साबिक रिकार्ड में गैर मुमकिन रास्ते के पास है जबकि बंदोबस्त सम्वत् 2046 ने हाल रिकार्ड में हाल खसरा संख्या को नक्शा किश्तवार में रास्ते से दूर अंकित किया गया है। बंदोबस्त को साबिक रिकॉर्डानुसार रकबा व नक्शा किश्तवार में इन्द्राज में परिवर्तन का कोई अधिकार नहीं है। अन्त में वादी ने स्वयं को 1.25 है0 रकबे का रिकार्डेड खातेदार घोषित करने एवं हाल नक्शा किश्तवार में मुताबिक साबिक रिकार्ड के इन्द्राज दुरूस्ती करते हुए दावा इस्तकरारहक्क डिक्रीत फरमाने का निवेदन किया।

6. दौरान–ए–बहस प्रतिवादी ने निवेदन किया कि वादी को साबिक खसरा संख्या 29 रकबा 46 बीघा 18 बिस्वा किस्म चारागाह मुताबिक जमाबंदी सम्वत् 2031 में से 5 बीघा भूमि अवैध रूप से आवंटित की गई थी। बंदोबस्त सम्वत् 2046 के मिलान क्षेत्रफल अनुसार साबिक खसरा संख्या 1368/29 रकबा 5 बीघा से हाल खसरा संख्या 55 रकबा 1.16 है0 मुताबिक कब्जा वादी सही रिकॉर्ड दर्ज किया गया है। वादी के नामान्तकरण संख्या 31 के द्वारा रकबा

1.16 है0 भूमि पर ही खातेदारी दी गई है। बंदोबस्त सम्वत् 2046 द्वारा बंदोबस्त कार्यवाही दौरान दिनांक 15.07.07 को पर्चा नोटिस कार्यवाही ग्राम पंचायत टहला पर रखी गई थी। वादी को पर्चा नोटिस पर आपत्ति रखनी चाहिए थी। अन्त में प्रतिवादी ने वादी को मुताबिक कब्जा जायज आराजी को पूर्व में ही रिकॉर्डेड खातेदार घोषित होने के कारण हाल दावा इस्तकरारहक्क खारिज फरमाने का निवेदन किया।

7. पत्रावली का अवलोकन किया गया तथा बहस उभय पक्ष पर मनन किया गया। प्रकरण में वादी का कथन यह है कि वादी को साबिक आराजी खसरा संख्या 1369/29 रकबा 5 बीघा भूमि वाके ग्राम टहला में आवंटित हुई थी। [Exb-7] द्वारा स्पष्ट है कि दिनांक 27.03.1975 को वादी के नाम साबिक आराजी खसरा संख्या 1369/29 रकबा 5 बीघा आराजी का बाद आवंटन गैर खातेदारी दर्ज रिकार्ड की गई थी। [Exb-5] पर्चा नोटिस से स्पष्ट है कि साबिक आराजी खसरा संख्या 1369/29 रकबा 5 बीघा से हाल आराजी खसरा संख्या 55 रकबा 1.16 है0 कायम किया गया है। मिलान क्षेत्रफल बदोबस्त सम्वत् 2046 के अनुसार साबिक आराजी खसरा संख्या 1368/29 रकबा 5 बीघा से हाल खसरा संख्या 55 रकबा 1.16 है0 कायम होना बताया है। परन्तु पर्चा नोटिस [Exb-5] व [Exb-7] नामान्तरकरण संख्या 130 दिनांक 27.03.1975 से स्पष्ट है कि मैट्रिक माप प्रणाली अनुसार वादी का हाल रकबा 1.25 है0 होना चाहिए। परन्तु बंदोबस्त विभाग द्वारा 0.09 हैक्ट0 रकबा कम दर्ज किया गया है जो कि काबिल दुरूस्ती है।

8. दूसरा प्रश्न यह है कि बंदोबस्त सम्वत् 2046 द्वारा वादी का रकबा 0.09 हैक्ट0 कम दर्ज किया गया है परन्तु वादी यह स्पष्ट नही कर पाया कि बंदोबस्त सम्वत् 2046 द्वारा 0.09 है0 शेष रकबा किस खसरे में शामिल किया। इस संदर्भ में हाल नक्शा किश्तवार [Exb-4] व नायब तहसीलदार मौका रिपोर्ट दिनांक 11.07.2017 [Exb-8] गौर काबिल है। [Exb-4]

व [Exb-S] के सह–अवलोकन से यह प्रतीत होता है कि हाल आराजी खसरा संख्या 55/2209 रकबा 0.08 है0 साबिक खसरा संख्या 29 से ही कायम किया गया है तथा वादी की आराजी हाल खसरा संख्या 55 से लगता हुआ है और वर्तमान में सिवायचक खाता संख्या 1 दर्ज रिकार्ड है। इस अवलोकन से बंदोबस्त सम्वत् 2046 द्वारा वादी के हाल खसरा संख्या 55 में 0.09 है0 कम दर्ज रकबा हाल खसरा संख्या 55/2209 रकबा 0.08 है0 मे गलत तौर पर दर्ज कर दिया जो काबिल दुरूस्ती योग्य है क्योकि भू–प्रबंध विभाग को बंदोबस्त के समय खातेदार के खातेदारी रकबे में रद्दोबदल का अधिकार नही है।

9. इस प्रकार साबिक आराजी खसरा संख्या 1369/29 रकबा 5 बीघा वादी को आवंटित होना स्पष्ट है। बंदोबस्त सम्वत् 2046 द्वारा वादी का रकबा 0.09 कम दर्ज किया गया है जो हाल आराजी खसरा संख्या 55/2209 रकबा 0.08 है0 में शामिल कर दिया गया प्रतीत होता है। इस प्रकार यह गलत बंदोबस्त इन्द्राज काबिल–ए–दुरूस्ती है। इस प्रकार विवाद्यक संख्या 1 वादी के पक्ष में स्वीकार किया जाता है।

10. वादी का कथन है कि वादी को आवंटित साबिक आराजी खसरा संख्या 1369/29 रकबा 5 बीघा मुताबिक साबिक नक्शा किश्तवार वाके ग्राम टहला अनुसार गैर मुमकिन रास्तें पर अवस्थित था। साबिक नक्शे के बमुकाबले हाल नक्शा किश्तवार में वादी की आराजी को गलत जगह दर्शाया गया है। हाल नक्शा किश्तवार [Exb-4] से स्पष्ट है कि वादी की हाल आराजी खसरा संख्या 55 व गैर मुमकिन रास्ते के मध्य अन्य खसरे अवस्थित है। वादी ने इसके प्रमाणार्थ साबिक नक्शा किश्तवार [Exb-3] प्रस्तुत किया है।

11. साबिक नक्शा किश्तवार वाके ग्राम टहला [Exb-3] के अवलोकन से स्पष्ट है कि नक्शा ट्रेस में केवल वादी का खसरा अंकित है। बंदोबस्त सम्वत् 2046 द्वारा साबिक व हाल नक्शा में किये गये परिवर्तनों के लिए वादी द्वारा प्रस्तुत प्रमाण पर्याप्त प्रतीत नहीं होते है। वादी

को साबिक आराजी खसरा संख्या 1369/29 आवंटित की गयी थी। साथ ही साबिक खसरा संख्या 29 में से अनेक लोगों को आवंटन किये गये थे। आवंटन के पश्चात् साबिक खसरा संख्या 29 पर आवंटी के खसरे व कब्जे अनुसार तरमीम की गयी। आवंटन पश्चात् कब्जा प्रदर्शित करता हुआ तरमीम युक्त साबिक नक्शा किश्तवार के बमुकाबले हाल नक्शा किश्तवार के मिलान से ही बंदोबस्त सम्वत् 2046 द्वारा की गयी गलत इन्द्राज की पहचान हो सकती है। वादी आवंटियों के तरमीम युक्त नक्शें को प्रस्तुत करने में असमर्थ रहा है। साथ ही हाल नक्शा किश्तवार वाके ग्राम टहला के अवलोकन से स्पष्ट है कि हाल आराजी खसरा संख्या 55 व 55/2209 दोनों बिलकुल लगते हुए अवस्थित है। अगर हाल खसरा संख्या 55 को गैर मुमकिन रास्ते के पास अवस्थित माना जावे तो पहला, खसरा संख्या 55 व 55/2209 के मध्य अनेक दीगर खसरे आयेगें जैसा कि भूप्रबन्ध के दौरान विधिक प्रक्रियानुसार नही होता है। खसरे एक क्रमानुसार लगते हुए ही अवस्थित होते है।

12. अगर हाल खसरा संख्या 55 को गैर मुमकिन रास्ते के समीप अवस्थित माना जावे तो हाल खसरा संख्या 55/2209 वादी की आराजी खसरा संख्या 55 का भाग नही माना जा सकता है। अतः वादी का कथन कि हाल आराजी खसरा संख्या 55 गैर मुमकिन रास्ते के पास अवस्थित नही करके बंदोबस्त सम्वत् 2046 ने गलत इन्द्राज किया है, पुष्ट प्रतीत नही होता है। अतः विवाद्यक संख्या 2 वादी के विपक्ष में मानकर अस्वीकार किया जाता है।

13. इस प्रकार प्रकरण का प्रथम विवाद्यक यह है कि वादी को आवंटित 5 बीघा भूमि को बंदोबस्त सम्वत् 2046 के द्वारा 0.09 है0 कम दर्ज किया गया जो कि बंदोबस्त विभाग के प्राधिकार से बाहर है। प्रथम विवाद्यक वादी के पक्ष में साबित होता है जिस कारण वादी हाल आराजी खसरा संख्या 55/2209 रकबा 0.08 है0 पर खातेदारी अधिकार प्राप्त करते हुए 1.24 है0 रकबे का खातेदार घोषित होने का प्राधिकारी है तथा इस बाबत् इन्द्राज दुरूस्ती

करवाने का अधिकारी है। प्रकरण में विवाद्यक संख्या 2 वादी के द्वारा साबित नही कर पा
के कारण कोई अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नही है। अतः

आदेश है कि

वादी का वाद बाबत् इस्तकरारहक्क स्वीकार किया जाकर वादी को हाल संख्या 55/2209 रकबा 0.08 है0 मय हाल खसरा संख्या 55 रकबा 1.16 है0 वाके ग्राम टहला तहसील राजगढ का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है एवं इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज दुरूस्ती कराने का अधिकारी घोषित किया जाता है। इसी अनुसार पर्चा डिक्री तैयार की जावें।

निर्णय आज दिनांक 05.02.2021 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(केशव कुमार मीना आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी राजगढ
(अलवर)

सत्यमेव जयते

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी राजगढ (अलवर)

पीठासीन अधिकारी श्री केशव कुमार मीना (आर.ए.एस.)

वाद संख्या	किस्म वाद	प्रवेश तिथि	निर्णय तिथि
1/90/2018	दावा बाबत स्थाई निषेधाज्ञा	02.05.2012	05.02.2021

1. रामधन पुत्र झूथा जाति कोली निवासी टहला तहसील राजगढ जिला अलवर .....वादीगण

बनाम

1 राजस्थान सरकार जिला कलक्टर अलवर
2 तहसीलदार राजगढ
3 मुरारी पुत्र मूलचन्द जाति बलाई निवासी टहला तहसील राजगढ (अलवर)
4 किशन पुत्र रूगनाथ जाति कोली निवासी टहला तहसील राजगढ (अलवर)
5 लादू पुत्र फतेहलाल जाति कोली निवासी टहला तहसील राजगढ (अलवर)
6 राधेश्याम पुत्र गंगाराम जाति रैगर निवासी टहला तहसील राजगढ (अलवर)
7 रामधन पुत्र झूथा जाति कोली निवासी टहला तहसील राजगढ (अलवर) ....प्रतिवादीगण

दावा इस्तकारक अन्तर्गत धारा 88

उपस्थित : 1. श्री सुरेन्द्र माथुर एड0– वादी

2 पैरोकार सरकार –प्रतिवादी

पर्चा डिक्री **दिनांक 05.02.2021**

वादी का वाद बाबत् इस्तकरारहक्क स्वीकार किया जाकर वादी को हाल संख्या 55/2209 रकबा 0.08 है0 मय हाल खसरा संख्या 55 रकबा 1.16 है0 वाके ग्राम टहला तहसील राजगढ का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है एवं इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज दुरूस्ती कराने का अधिकारी घोषित किया जाता है। शेष राजस्व रिकार्ड इन्द्राज यथावत रखे जावें।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 05.02.2021 को तैयार की गई।

(केशव कुमार मीना आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी राजगढ (अलवर)